प्रति: निर्णय दिनांक 14-3-2019
प्रकरण सं. R.M. 5/2016
धानाराम S/o मांगाराम बनाम रामा S/o पररवा (फौत) के कायम मुकाम:- मांगा S/o रामा (फौत) के कायम मुकाम:- डूंगरसिंह S/o मांगा, वगैरह कुल 7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स पद	
14-3-2019	प्रार्थी के वकील उपस्थित / अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4, 6 के वकील उपस्थित / अप्रार्थी सं. 7 की ओर से सरकारी वकील उपस्थित / अप्रार्थी सं. 1/1, 1/2, 5 अनुपस्थित / प्रार्थी धानाराम ने दिनांक 27-11-2017 को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से राजीनामा करने के कारण प्रकरण को आगे चलाना नही चाहता है अत: प्रकरण जरिये विड्रोवल खारिज करावे / अपीलांट की पहचान उनके वकील द्वारा दी गई है, उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4, 6 के वकील ने दि. 27-11-17 को तथा अप्रार्थी सं. 7 की ओर से सरकारी वकील ने आज No Objection व्यक्त किया है/ अत: प्रार्थी का प्रकरण जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है व तहसीलदार बागोडा को निर्देश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अगर धारा 17(4) राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 का प्रकरण बनता हो तो सरकार की ओर से नियमानुसार प्रकरण तैयार कर संबंधित न्यायालय में पेश करे/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो/ आदेश सरे इजलास सुनाया गया/ S.d. (छगनलाल गोयल) **अतिरिक्त जिला कलेक्टर** **जालोर (राज.)**	No objection (हस्ताक्षर)